प्रेस नोट

थाना सुनगढ़ी जनपद पीलीभीत

थाना सुनगढ़ी पुलिस द्वारा मोटर-साइकिल चोरी करने वाले गैंग के सदस्य द्वारा मोटर-साइकिलों की चोरी कर उनके विक्रय एवं अन्य अपराध कर अवैध रूप से अर्जित की गयी सम्पत्ति से निर्मित आवासीय भवन जिसकी अनुमानित कीमत 1507700/- रू0 (पन्द्रह लाख सात हजार सात सौ रूपये) को कुर्क किया गया।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद पीलीभीत के कुशल निर्देशन में अपराध/अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के क्रम में आज दिनांक 01.06.2024 को थाना सुनगढ़ी पुलिस द्वारा गैंग बनाकर मोटर साइकिल चोरी कर उनकी ब्रिकी करने एवं अन्य अपराध कारित कर अवैध रूप से धन अर्जित करने वाले **गैंग सदस्य/अभियुक्त प्रमोद पाल पुत्र स्व0 कालीचरन निवासी ग्राम महचन्दी गौटिया उर्फ मचन्दी गौटिया थाना न्यूरिया जनपद पीलीभीत** जो कि सक्रिय सदस्य के रूप में विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहता है **इसके द्वारा सामूहिक व व्यक्तिगत रूप से मोटरसाइकिल चोरी कर उनके विक्रय करने व अन्य आपराधिक कृत्य कर अर्जित धन से ग्राम महचन्दी गौटिया उर्फ मचन्दी गौटिया थाना न्यूरिया जनपद पीलीभीत में सम्पत्ति अर्जित की गयी है।** उक्त गैंग के सदस्य के विरूद्ध प्रभारी निरीक्षक थाना सुनगढी के द्वारा अवैध अचल संपत्ति के बारे में जानकारी कर धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्ध एंव समाज विरोधी क्रियाक्लाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट पीलीभीत के समक्ष रिपोर्ट प्रेषित की गई, जिस पर न्यायालय श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट पीलीभीत के द्वारा वाद संख्या 919/2024 बनाम प्रमोद पाल अन्तर्गत धारा 14(1) गिरोहबंद एवं आसामाजिक क्रियाक्लाप निवारण अधिनियम 1986 में श्रीमान संजय कुमार सिंह, जिला मजिस्ट्रेट पीलीभीत द्वारा उ0प्र0 गिरोहबन्ध एंव समाज विरोधी क्रियाक्लाप निवारण अधिनियम की धारा 14(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वाहन चोरी कर उनकी बिक्री कर अवैध रूप से धन अर्जित करने वाले गैंग के सदस्य प्रमोद पाल पुत्र स्व0 कालीचरन निवासी महचन्दी गौटिया उर्फ मचन्दी गौटिया थाना न्यूरिया जनपद पीलीभीत के द्वारा वाहन चोरी कर उनकी बिक्री कर अवैध रूप से धन अर्जित कर एक पक्के आवासीय भवन का निर्माण किया गया, **आवासीय भवन की अनुमानित कीमत 1507700/- रू0 (पन्द्रह लाख, सात हजार सात सौ रूपये) कुर्क करने के आदेश दिनांक 29.05.2024 को पारित किया गया।** उक्त आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 01.06.2024 को श्रीमान उपजिलाधिकारी अमरिया, श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर, तहसीलदार अमरिया एवं प्रभारी निरीक्षक सुनगढ़ी के द्वारा ग्राम महचन्दी गौटिया उर्फ मचन्दी गौटिया में एक आवासीय भवन को कुर्क कर नियमानुसार कार्यवाही की गयी।

कुर्क सम्पत्ति का विवरण

क्र0 सं0	अभियुक्त/गैंग सदस्य का नाम	वाद संख्या	कुर्क सम्पत्ति का विवरण	कुर्क सम्पत्ति की अनुमानित कीमत
01	प्रमोद पाल पुत्र स्व0 कालीचरन निवासी महचन्दी गौटिया उर्फ मचन्दी गौटिया थाना न्यूरिया जिला पीलीभीत	919/2024	आवासीय भवन	1507700/-रुपये

अपराधिक इतिहास

अभियुक्त/गैंग सदस्य - प्रमोद पाल पुत्र स्व0 कालीचरन निवासी ग्राम महचन्दी गौटिया उर्फ मचन्दी गौटिया थाना न्यूरिया जनपद पीलीभीत

क्र0स0	थाना	मु0स0अ0	धारा
1	कोतवाली	25/2023	धारा 379,411,414 भादवि0
2	कोतवाली	37/2023	धारा 411,414 भादवि0 व 41/102 सीआरपीसी
3	न्यूरिया	314/2023	3/25 आयुध अधिनियम
4	कोतवाली	277/2023	2/3 गैंगस्टर एक्ट

सम्पत्ति कुर्क करने वाली पुलिस टीम

1-प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार पाण्डेय
2-व0उ0नि0 श्री सिद्धार्थ उपाध्याय
3-का0 सुमित कुमार
4-म0का0 अंजली निर्वाल